NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-07-2026

विषय सूची

यूरोपीय संघ की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारदर्शिता संहिता

उच्चतम न्यायालय द्वारा 'पूर्वव्यापी' पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर प्रतिबंध

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुपये के अवमूल्यन का आकलन

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के सुधार, 2026: भारत के बीमा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में पहल

भारतीय सशस्त्र बलों का प्रस्तावित थिएटरकरण (एकीकृत थिएटर कमान व्यवस्था)

संक्षिप्त समाचार

रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने संबंधी विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका में त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया

दानवीर पहल

सरकार द्वारा ₹10 एवं ₹20 के पॉलीमर बैंक नोटों के परीक्षण को स्वीकृति प्रदान

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (IACS)

फील्ड्स पदक, 2026

यूरोपीय संघ की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारदर्शिता संहिता

संदर्भ

- 2 अगस्त से यूरोपीय संघ ने ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित सामग्री पर अनिवार्य लेबल लगाने का प्रावधान लागू किया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा मानव उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन परिवर्तित अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री की पहचान करने में सक्षम बनाना।
- यह प्रावधान यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है।
    - यह अधिनियम जोखिम-आधारित वर्गीकरण के आधार पर यूरोपीय संघ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के उपयोग एवं आपूर्ति के लिए एक नियामक ढाँचा निर्धारित करता है।
    - कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित सामग्री की पारदर्शिता संबंधी आचार संहिता के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने वाले संस्थानों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए सूचना पारितंत्र की अखंडता बनाए रखने हेतु कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- **सामग्री के लेबलकरण का दायरा:** यह आचार संहिता ऑनलाइन सामग्री की दो व्यापक श्रेणियों पर लागू होती है—
    - **डीपफेक सामग्री:** ऐसी छवियाँ, ध्वनि अथवा वीडियो, जो वास्तविक व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं से सामंजस्यशील हों तथा जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित या परिवर्तित किया गया हो और जो किसी सामान्य व्यक्ति को वास्तविक प्रतीत हों।
    - **परिवर्तित पाठ्य सामग्री:** ऐसी पाठ्य सामग्री, जिसे जनता तक सूचना पहुँचाने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया हो, किंतु जिसका किसी मानव द्वारा परीक्षण या समीक्षा न की गई हो।
    - आचार संहिता के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के विकासकर्ता तथा सामग्री प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसी सामग्री पर स्पष्ट, प्रमुख तथा आसानी से पहचाने जा सकने वाले संकेत प्रदर्शित करें, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वह कृत्रिम रूप से निर्मित है।
- **आचार संहिता के अंतर्गत अपवाद:** निम्नलिखित प्रकार की सामग्री को इस प्रावधान से छूट प्रदान की गई है—
    - ऐसी डीपफेक सामग्री जो स्पष्ट रूप से कलात्मक, व्यंग्यात्मक अथवा काल्पनिक रचनाओं का हिस्सा हो।
    - वह सामग्री जिसका उपयोग विधि द्वारा अपराधों का पता लगाने, उनकी रोकथाम, जाँच अथवा अभियोजन के उद्देश्य से अधिकृत किया गया हो।
    - कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित ऐसी पाठ्य सामग्री, जिसकी मानव द्वारा समीक्षा की गई हो अथवा जो संपादकीय नियंत्रण के अधीन हो तथा जिसके लिए विधिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति जिम्मेदार हो।
- **सामग्री का लेबलिंग:** यूरोपीय संघ ने सामग्री की प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार के चिह्न निर्धारित किए हैं—
    - "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" चिह्न — जब किसी सामग्री के निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की केवल आंशिक भूमिका रही हो।
    - "कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित" चिह्न — जब सामग्री पूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा तैयार की गई हो तथा मानव की भूमिका केवल निर्देश देने तक सीमित रही हो।
    - "कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा परिवर्तित" चिह्न — जब पहले से विद्यमान मानव-निर्मित सामग्री को कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों की सहायता से संशोधित किया गया हो।

भारत से भिन्नता

- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2026 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन अधिसूचित किया, जिसके अनुसार कृत्रिम रूप से निर्मित सूचना पर उपयोगकर्ताओं तथा सामाजिक माध्यम मंचों के लिए स्पष्ट लेबल प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया।
- यूरोपीय संघ की आचार संहिता में लेबल लगाने की जिम्मेदारी मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करने वालों पर है, जबकि भारत में इसका प्रमुख दायित्व सामाजिक माध्यम मंचों एवं उपयोगकर्ताओं पर निर्धारित किया गया है।
- यूरोपीय संघ की व्यवस्था का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को उत्तरदायी बनाकर जिम्मेदार सामग्री निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- भारत ने मुख्यतः अंतिम रूप से प्रकाशित सामग्री के नियमन पर बल दिया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मंचों को ऐसी सामग्री हटाने का अधिकार प्रदान किया है।
- यूरोपीय संघ ने रचनात्मक सामग्री के लिए स्पष्ट अपवाद निर्धारित किए हैं तथा मानव समीक्षा पर विश्वास व्यक्त किया है, जबकि भारत के प्रावधान अपेक्षाकृत सामान्य प्रकृति के हैं और इस प्रकार की विशिष्ट छूट उपलब्ध नहीं कराते।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण सृजन, अभिव्यक्ति तथा सूचना साझा करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सामग्री के स्रोत को स्पष्ट रूप से समझ सके तथा उसकी विश्वसनीयता

का आत्मविश्वासपूर्वक आकलन कर सके। इससे डिजिटल वातावरण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जनविश्वास को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

स्रोत: TH

उच्चतम न्यायालय द्वारा 'पूर्वव्यापी' पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर प्रतिबंध

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के उस **कार्यालय ज्ञापन** को निरस्त कर दिया, जिसके माध्यम से आधारभूत संरचना परियोजनाओं को **पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति** प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।

परिचय

- वर्ष 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की जा सकती थी, जिन्होंने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था।
- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति** केवल कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रदान नहीं की जा सकती।
- हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार असाधारण परिस्थितियों तथा जनहित में, प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों के अंतर्गत जारी **सांविधिक अधिसूचना** के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर सकती है।
- इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यपालिका की शक्तियों के स्रोत तथा परियोजनाओं के नियमितीकरण की सीमाओं के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया।

कार्यालय ज्ञापन एवं सांविधिक अधिसूचना

- **कार्यालय ज्ञापन** किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश होता है तथा इसे विधिक बल प्राप्त नहीं होता।
- इसके विपरीत, **सांविधिक अधिसूचना** किसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जारी की जाती है। वर्तमान संदर्भ में यह **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत जारी की जाती है तथा इसका प्रकाशन **राजपत्र** में किया जाता है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन

- **पर्यावरण प्रभाव आकलन** किसी प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
- इसके माध्यम से परियोजना के लाभकारी तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार के प्रभावों का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है तथा परियोजना के अभिकल्पन के समय उन्हें ध्यान में रखा जाता है।
  - साथ ही, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त शमन उपाय भी सुझाए जाते हैं।
- **महत्त्व:**
  - पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना।
  - प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग।
  - परियोजना की समय एवं लागत में बचत।
  - जनसहभागिता को बढ़ावा देकर संभावित विवादों को कम करना।
  - निर्णय-निर्माताओं को वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना।
  - पर्यावरण की दृष्टि से सतत एवं उत्तरदायी परियोजनाओं की आधारशिला तैयार करना।

भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन

- **वर्ष 1994: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय** ने **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत प्रथम बार **पर्यावरणीय स्वीकृति** प्राप्त करना अनिवार्य किया।
- **वर्ष 2006 की व्यवस्था:** वर्ष 2006 की अधिसूचना उद्योगों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रमुख विधिक आधार है।
  - इसके अंतर्गत खनन, तापीय विद्युत संयंत्र, नदी घाटी परियोजनाएँ, आधारभूत संरचना तथा विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई।
  - वर्ष 1994 की अधिसूचना की तुलना में, वर्ष 2006 की व्यवस्था में परियोजनाओं के आकार एवं क्षमता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी सौंपी गई।

विधिक एवं संस्थागत ढाँचा

- **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचनाएँ:** इन्हें **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जाता है।
- **परियोजनाओं का वर्गीकरण:**
  - **श्रेणी 'क':** राष्ट्रीय स्तर की वे परियोजनाएँ जिनका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, जैसे— बड़े बाँध तथा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग।
  - **श्रेणी 'ख-1':** मध्यम आकार की ऐसी परियोजनाएँ जिनका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर पड़ता है।
  - **श्रेणी 'ख-2':** अपेक्षाकृत छोटे स्तर की परियोजनाएँ, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव सीमित होता है।

- संस्थागत प्राधिकरण:
    - **केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति** — श्रेणी 'क' की परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है।
    - **राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ** — श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं का मूल्यांकन करती हैं।
    - **राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण** — राज्य स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रमुख चिंताएँ

- वर्ष **2006** की अधिसूचना का एक सकारात्मक पक्ष इसकी गतिशीलता है, जिसके कारण समय की आवश्यकताओं के अनुरूप इसके प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं में संशोधन संभव हुआ।
- किंतु इस विशेषता का अनेक अवसरों पर दुरुपयोग भी किया गया।
- मात्र पाँच वर्षों में **110 से अधिक संशोधन** किए गए, जिनमें से अधिकांश बिना सार्वजनिक परामर्श के किए गए।

TRACK CHANGE

Number of changes introduced in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, in past five years

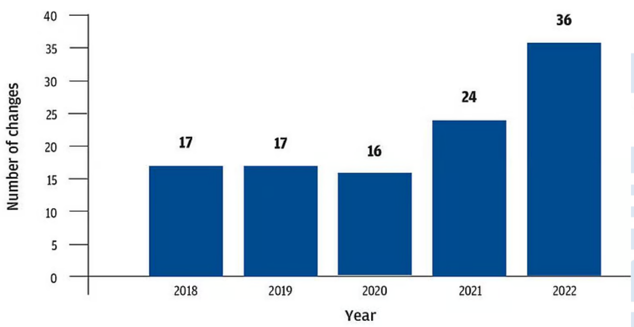

Source: CSE analysis

- इस अत्यधिक लचीलेपन के कारण अनेक उद्योगों को पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने अथवा प्रदूषण फैलाने के बावजूद स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गईं।

पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया में सुधार हेतु सर्वोत्तम उपाय

- हितों के टकराव से बचने के लिए एक **स्वतंत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण** की स्थापना की जाए।
- विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं में **जनपरामर्श प्रक्रिया** को अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाया जाए।
- आधारभूत पर्यावरणीय आँकड़ों को वैज्ञानिक, अद्यतन तथा पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए।
- पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर **स्वीकृति से मुक्त परियोजनाओं** की सूची की समीक्षा एवं अद्यतन किया जाए।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

संदर्भ

- **प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना** गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान एवं समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्रों को **बिना संपार्श्विक (गिरवी) तथा बिना जमानत** शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ ब्याज सहायता भी प्रदान कर रही है।

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

- यह **नवंबर 2024** में अनुमोदित केंद्र सरकार की एक योजना है।
- इसका उद्देश्य अधिसूचित **गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों** में योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को **बिना संपार्श्विक तथा बिना जमानत शिक्षा ऋण** उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **बिना संपार्श्विक एवं बिना जमानत शिक्षा ऋण:** इस योजना के अंतर्गत देश के अधिसूचित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में **योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त** करने वाले विद्यार्थियों को बिना संपार्श्विक एवं बिना जमानत शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है।
    - वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत **1,425** गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के संस्थान सम्मिलित हैं।
    - **प्रबंधन कोटा, अनिवासी भारतीय कोटा** आदि के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- **सरकारी ऋण गारंटी:** ₹7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण पर सरकार द्वारा **75 प्रतिशत ऋण गारंटी** प्रदान की जाती है।
    - इससे बैंकों का जोखिम कम होता है तथा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा वित्त तक पहुँच आसान बनती है।
- **लचीली ऋण सुविधा:** योजना के अंतर्गत **ऋण राशि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं** है।
    - ऋण का उपयोग निम्नलिखित व्ययों के लिए किया जा सकता है—
        - शिक्षण शुल्क,
        - छात्रावास एवं भोजन शुल्क,
        - वापसी योग्य तथा अवापसी योग्य संस्थागत शुल्क,
        - लैपटॉप,
        - अन्य युक्तिसंगत शैक्षिक एवं जीवन-यापन संबंधी व्यय।

- **रियायती ऋण शर्तें:** शिक्षा ऋण पर ब्याज दर **बाह्य मानक आधारित ऋण दर + 0.5 प्रतिशत** तक सीमित रखी गई है, जो सामान्य शिक्षा ऋणों की तुलना में कम है।
  - पाठ्यक्रम की अवधि तथा उसके पश्चात **एक वर्ष की स्थगन अवधि** को छोड़कर अधिकतम **15 वर्ष** में ऋण का पुनर्भुगतान किया जा सकता है।
- **ब्याज सहायता: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना** के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक वाले पात्र विद्यार्थियों को **100 प्रतिशत ब्याज सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना** के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय **₹8 लाख तक** वाले विद्यार्थियों को **₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण** पर स्थगन अवधि के दौरान **3 प्रतिशत ब्याज सहायता** प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया अनुप्रयोग

- शिक्षा ऋण स्वीकृत एवं वितरित होने के पश्चात पात्र विद्यार्थी अपनी पारिवारिक आय के आधार पर ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- स्वीकृत ब्याज सहायता की राशि लाभार्थी के **प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया अनुप्रयोग** में जमा की जाती है तथा उसके बाद शिक्षा ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

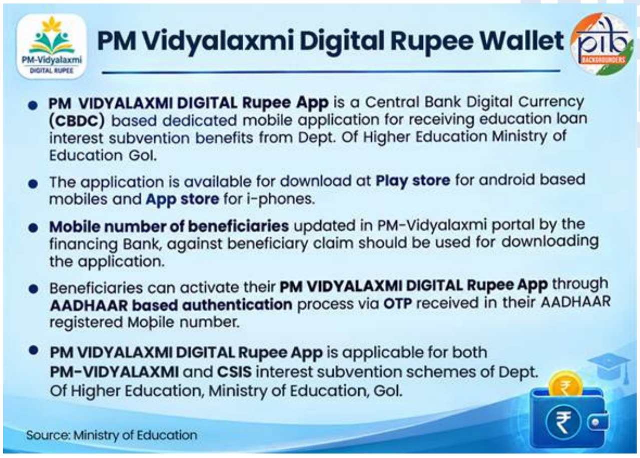

महत्त्व

- यह योजना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच को सुदृढ़ करती है तथा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** एवं **सतत विकास लक्ष्य-4** के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।
- यह एक कुशल, समावेशी एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल के निर्माण में योगदान देती है।
  - योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिए आवेदन, उसकी प्रगति की निगरानी तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रबंधन हेतु **एकीकृत ऑनलाइन मंच** उपलब्ध कराया गया है।
- वास्तविक समय आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ती है तथा ऋण स्वीकृति एवं प्रसंस्करण अधिक दक्षतापूर्वक संपन्न होता है।
- यह योजना **महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों** को शिक्षा वित्त तक समान अवसर प्रदान करती है, जिससे उच्च शिक्षा, रोजगार क्षमता तथा कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन** तथा अन्य सामाजिक समूहों के विद्यार्थियों को इस योजना से लाभ प्राप्त होता है। इससे आर्थिक बाधाएँ कम होती हैं तथा उच्च शिक्षा तक समान एवं न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित होती है।

स्रोत: PIB

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुपये के अवमूल्यन का आकलन

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि भारतीय रुपया नाममात्र प्रभावी विनिमय दर तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर दोनों के संदर्भ में अवमूल्यित है।

परिचय

- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने स्पष्ट किया कि बैंक किसी विशिष्ट विनिमय दर को लक्ष्य नहीं बनाता।
- भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा व्यवस्थित बाजार परिस्थितियाँ बनाए रखने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करता है।

मुद्रा का अवमूल्यन

- किसी मुद्रा को अवमूल्यित तब माना जाता है, जब उसकी बाजार विनिमय दर उस स्तर से कम हो, जिसे किसी देश की मूलभूत आर्थिक स्थितियाँ उचित ठहराती हों।
- दूसरे शब्दों में, जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य उस स्तर से कम हो, जिसका संकेत आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, उत्पादकता, बाह्य क्षेत्र की स्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार तथा निवेशकों के विश्वास जैसे कारक सामान्यतः देते हैं, तब उसे अवमूल्यित माना जाता है।
- जब अस्थायी बाह्य आघातों के कारण किसी मुद्रा का मूल्य उसके संतुलन स्तर से अधिक गिर जाता है, तब अर्थशास्त्री सामान्यतः उसे अवमूल्यित मुद्रा के रूप में वर्णित करते हैं।

रुपये के मूल्यह्रास के कारण

- **वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का आयात व्यय बढ़ता है।
    - इससे अमेरिकी डॉलर की माँग बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये पर अवमूल्यन का दबाव उत्पन्न होता है।
- **पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्ष:** पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।
    - ये ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं तथा रुपये जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।
- **अमेरिकी डॉलर का सुदृढ़ीकरण:** डॉलर परिसंपत्तियों की वैश्विक माँग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के कारण अमेरिकी डॉलर सुदृढ़ होता है।
    - इससे अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का सापेक्ष मूल्य कम हो जाता है।
- **वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में वृद्धि:** वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं।
    - इससे उभरते बाजारों से पूँजी का बहिर्गमन होता है तथा उनकी मुद्राएँ कमजोर होती हैं।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा पूँजी निकासी:** भारतीय शेयर एवं ऋण बाजारों से विदेशी निवेश की निकासी के कारण निवेशक अपने रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं।
    - इससे डॉलर की माँग बढ़ती है तथा रुपये के मूल्य में गिरावट आती है।

अवमूल्यित रुपये से संबंधित चुनौतियाँ

- आयात महँगा हो जाता है, जिससे देश का आयात व्यय बढ़ता है।
- कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के कारण आयातित मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।
- आयातित कच्चे माल पर निर्भर उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
- विदेशी मुद्रा में लिए गए बाह्य ऋणों का भुगतान अधिक महँगा हो जाता है।
- यदि रुपये का लगातार मूल्यह्रास संरचनात्मक कमजोरियों के कारण हो, तो इससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

कमजोर रुपये के लाभ

- कमजोर रुपया भारतीय निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।
- निर्यातकों को रुपये के रूप में अधिक आय प्राप्त होती है।
- घरेलू उद्योगों को निर्यात माँग में वृद्धि का लाभ मिल सकता है।

नाममात्र प्रभावी विनिमय दर

- नाममात्र प्रभावी विनिमय दर भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य का भारित औसत सूचकांक है।
- यह विभिन्न मुद्राओं के समूह के सापेक्ष रुपये के उतार-चढ़ाव को मापती है।
- वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक 40 मुद्राओं के समूह के आधार पर नाममात्र प्रभावी विनिमय दर की गणना करता है, जो भारत के कुल वस्तु व्यापार का लगभग 88 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती हैं।
- इसका आधार वर्ष 2015–16 है तथा सूचकांक का आधार मान 100 निर्धारित किया गया है।
- प्रत्येक मुद्रा का भार संबंधित देश की भारत के विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- हालांकि, नाममात्र प्रभावी विनिमय दर विभिन्न देशों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में नहीं रखती।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर नाममात्र प्रभावी विनिमय दर का मुद्रास्फीति-समायोजित रूप है।
- यह विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति के अंतर को समायोजित करने के बाद भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के मुकाबले रुपये के मूल्य को मापती है।
- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को किसी देश की बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता का सबसे विश्वसनीय संकेतक माना जाता है।

स्रोत: TH

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के सुधार, 2026: भारत के बीमा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में पहल

संदर्भ

- हाल ही में **भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण** ने बीमा उद्योग के आधुनिकीकरण, सुशासन को सुदृढ़ करने, पॉलिसीधारकों के संरक्षण को सशक्त बनाने तथा

बीमा के प्रसार में तीव्रता लाने के उद्देश्य से अनेक सुधारों को अनुमोदित किया है।

- ये सुधार **'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025'** के प्रभावी क्रियान्वयन को सुगम बनाएँगे।

पृष्ठभूमि

- बीमा उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने का कार्य करता है।
- **'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा'** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नियामकीय एवं पर्यवेक्षी सुधार लागू किए हैं, ताकि बीमा क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, दक्ष एवं निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके, साथ ही पॉलिसीधारकों के हितों का अधिक प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रमुख सुधार

- **परिचालन एवं वित्तीय लचीलेपन में वृद्धि:** भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियमों में संशोधन को अनुमोदित किया है—
    - बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्तीय एवं निवेश कार्य विनियम (द्वितीय संशोधन), 2026
    - बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी संरचना, अंशों का अंतरण एवं समामेलन विनियम (संशोधन), 2026
    - प्रमुख प्रावधान:
        - बीमाकर्ताओं के लिए निवेश संबंधी मानदंडों का उदारीकरण।
        - पूँजी निवेश को अधिक सरल बनाना।
        - निगमीय पुनर्गठन की प्रक्रिया का सरलीकरण।
        - अंशों के अंतरण एवं समामेलन से संबंधित नियमों का सुव्यवस्थितीकरण।
        - बीमांकिक पर्यवेक्षण एवं वित्तीय प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाना।
    - अपेक्षित परिणाम:
        - व्यवसाय करने में सुगमता में वृद्धि।
        - बीमा कंपनियों की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार।
        - पॉलिसीधारकों के हितों से समझौता किए बिना दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहन।
- **पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण निधि:** भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने **पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण निधि विनियम, 2026** को अपनाया है।
    - यह निधि **भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** की धारा **16क** के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसे **'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025'** द्वारा जोड़ा गया है।
- निधि के उद्देश्य:
    - बीमा संबंधी जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
    - शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना।
    - प्रौद्योगिकी के माध्यम से पॉलिसीधारकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराना।
    - दावा न की गई बीमा राशि का पता लगाने एवं उसे लाभार्थियों तक पहुँचाने में सहायता करना।
    - पॉलिसीधारकों के संरक्षण एवं सशक्तीकरण से संबंधित पहलों को समर्थन देना।
    - यह निधि उपभोक्ता संरक्षण को संस्थागत स्वरूप प्रदान करती है तथा बीमा पारितंत्र में जनविश्वास को सुदृढ़ बनाती है।
- **बीमा मध्यस्थों से संबंधित सुधार:** भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा मध्यस्थों से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
    - **प्रमुख परिवर्तन:** प्रत्येक बीमा प्रस्ताव, पॉलिसी एवं प्रमाण-पत्र पर अधिकृत विक्रय प्रतिनिधि का नाम अंकित करना अनिवार्य।
        - समय-समय पर नवीनीकरण के स्थान पर वार्षिक शुल्क के आधार पर सतत पंजीकरण।
        - **'सबका बीमा, सबकी रक्षा अधिनियम'** तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों के अनुरूप व्यवस्था।
        - सुशासन, प्रकटीकरण एवं उत्तरदायित्व के उच्चतर मानदंड।
    - **लाभ:** बीमा वितरण प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं अनुरेखण क्षमता में वृद्धि।
        - पॉलिसीधारकों के लिए अधिक पारदर्शिता।
        - अनुपालन लागत में कमी।
        - मध्यस्थों, तृतीय पक्ष प्रशासकों तथा सर्वेक्षकों द्वारा सेवा प्रदायगी में सुधार।
- **पारदर्शी दंड व्यवस्था:** भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने **दंड अधिरोपण की प्रक्रिया एवं पद्धति विनियम, 2026** को अनुमोदित किया।
    - प्रमुख प्रावधान:
        - दंडात्मक कार्रवाई हेतु एक समान एवं पारदर्शी व्यवस्था।

- नियामकीय प्रक्रियाओं के लिए संरचित प्रणाली।
- कारण बताओ सूचना जारी करने की स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया।
- **महत्त्व:**
  - नियामकीय कार्यवाहियों में निष्पक्षता एवं एकरूपता सुनिश्चित होती है।
  - नियामकीय स्पष्टता बढ़ती है।
  - उत्तरदायित्व एवं जनविश्वास को प्रोत्साहन मिलता है।
- **बीमा क्षेत्र का विस्तार: प्रोटेक जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड** को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- यह वर्ष **2026** में पंजीकृत चौथी बीमा कंपनी है।
  - इनमें दो सामान्य बीमा कंपनियाँ, एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी तथा एक पुनर्बीमा कंपनी सम्मिलित हैं।
  - यह बीमा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं विस्तार का संकेत है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी सुधार:** सरकार ने बीमा कंपनियों में **100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** की अनुमति देने की घोषणा की है।
  - एक जीवन बीमा कंपनी तथा एक सामान्य बीमा कंपनी में पहले ही विदेशी अंशधारिता पूर्व निर्धारित **74 प्रतिशत** की सीमा से अधिक हो चुकी है।
- **अपेक्षित प्रभाव:**
  - पूँजी निवेश में वृद्धि।
  - निवेशकों के विश्वास में सुधार।
  - नवाचार एवं विस्तार क्षमता को प्रोत्साहन।
  - भारतीय बीमा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा।

सुधारों का महत्त्व

- पॉलिसीधारकों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाना।
- सुशासन एवं नियामकीय पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि।
- बीमा क्षेत्र के विकास एवं पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन।
- अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा व्यवसाय करने में सुगमता।
- देशभर में बीमा कवरेज के विस्तार के लक्ष्य को समर्थन।

संबंधित चुनौतियाँ

- बीमा कंपनियों एवं मध्यस्थों द्वारा सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- उपभोक्ता संरक्षण एवं नियामकीय लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना।
- ग्रामीण एवं अल्प-वित्तीय सेवाओं वाले क्षेत्रों में बीमा कवरेज का विस्तार।
- नागरिकों में बीमा संबंधी साक्षरता का अभाव।
- शिकायत निवारण एवं दावा न की गई राशि की वापसी हेतु डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन।

आगे की राह

- **'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025'** तथा उससे संबंधित विनियमों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- पॉलिसीधारक सेवाओं एवं शिकायत निवारण के लिए डिजिटल मंचों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए।
- नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए प्रभावी नियामकीय निगरानी बनाए रखी जाए।
- **'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा'** के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किफायती बीमा उत्पादों की उपलब्धता एवं पहुँच का विस्तार किया जाए।

स्रोत: IE

भारतीय सशस्त्र बलों का प्रस्तावित थिएटरकरण (एकीकृत थिएटर कमान व्यवस्था)

संदर्भ

- भारत **थिएटरकरण (एकीकृत थिएटर कमान व्यवस्था)** की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के निकट है, जिसके अंतर्गत **थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना** को संयुक्त थिएटर कमानों के अधीन संगठित किया जाएगा।

थिएटरकरण (एकीकृत थिएटर कमान व्यवस्था)

- थिएटरकरण से अभिप्राय थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना की कमान संरचनाओं का एकीकरण करना है, ताकि युद्ध एवं सैन्य अभियानों के दौरान निर्णय-निर्माण तथा संसाधनों के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक **एकल कमांडर** के अधीन लाकर निर्बाध समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।
- वर्तमान में भारत में **थल सेना की सात कमानें, वायु सेना की सात कमानें** तथा **नौसेना की तीन कमानें** कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त दो त्रि-सेवा कमानें—**अंडमान एवं निकोबार कमान** तथा **सामरिक बल कमान**—भी विद्यमान हैं।
- **एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय** उच्च स्तरीय रक्षा समन्वय को सुदृढ़ करने में सहायक भूमिका निभा रहा है।

भारत में थिएटरकरण की आवश्यकता

- **परिवर्तित सुरक्षा परिदृश्य:** भारत की पारंपरिक सैन्य कमान संरचना, चीन एवं पाकिस्तान से उत्पन्न नई सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो सकी है।
  - इसलिए अधिक समन्वित एवं एकीकृत सैन्य संरचना की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।
  - वर्ष **2020** का **गलवान संघर्ष** तथा वर्ष **2025** का **ऑपरेशन सिंदूर** तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्त संचालन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- **संयुक्तता का अभाव:** वर्तमान में थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना पृथक-पृथक सेवा-आधारित कमानों के माध्यम से कार्य करती हैं।
  - इससे समन्वय, संयुक्त योजना तथा परिचालनात्मक सामंजस्य सीमित रहता है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:** भारत, **संयुक्त राज्य अमेरिका**, **यूनाइटेड किंगडम** तथा **चीन** जैसे देशों की भाँति संयुक्त थिएटर कमान व्यवस्था की दिशा में अग्रसर है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका की थिएटर कमान व्यवस्था से यह सिद्ध हुआ है कि त्रि-सेवा एकीकृत कमान आधुनिक युद्ध में परिचालन दक्षता, कमान की एकता तथा अभियान की सफलता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है।
- **सामरिक महत्त्व:** थिएटर कमानों की स्थापना से भारत संयुक्त बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता विकसित कर सकेगा।
  - इससे भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी सुदृढ़ होगी तथा देश की समग्र रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी।
  - यह संयुक्त योजना, प्रशिक्षण, रसद, खुफिया सूचना साझाकरण तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करेगा, जिससे सैन्य संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा।

प्रस्तावित थिएटर कमानें

- भारत ने चीन, पाकिस्तान तथा समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित **तीन एकीकृत थिएटर कमानों** की संरचना लगभग अंतिम रूप दे दी है।
  - **पश्चिमी थिएटर कमान (पाकिस्तान):** इसका नेतृत्व **भारतीय वायु सेना** का एक वरिष्ठ अधिकारी करेगा।
    - **ऑपरेशन सिंदूर (2025)** के दौरान वायु शक्ति तथा लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता के महत्त्व को देखते हुए यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
    - **मुख्यालय:** जयपुर
  - **उत्तरी थिएटर कमान (चीन):** इसका नेतृत्व **थल सेना** का एक वरिष्ठ अधिकारी करेगा।
    - हिमालयी सीमा पर थल सेना की प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
    - **मुख्यालय:** लखनऊ
  - **समुद्री थिएटर कमान:** इसका नेतृत्व **भारतीय नौसेना** का एक वरिष्ठ अधिकारी करेगा।
    - इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
  - **संगठनात्मक संरचना:** एक **चार-स्टार अधिकारी** को नया **उप रक्षा प्रमुख** नियुक्त किया जाएगा, जो दैनिक संयुक्त परिचालन संबंधी विषयों का दायित्व संभालेगा।
    - **रक्षा प्रमुख** संयुक्त सेनाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे तथा **सैन्य कार्य विभाग** के सचिव के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सामरिक नेतृत्व प्रदान करेंगे।
    - प्रत्येक थिएटर कमान में अन्य सेवा से एक **उप कमांडर** नियुक्त किया जाएगा, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर एकीकरण सुनिश्चित हो सके।

वर्तमान स्थिति

- प्रस्ताव वर्तमान में सशस्त्र बलों के अंदर अंतिम स्तर के आंतरिक विचार-विमर्श से गुजर रहा है।
- इसके पश्चात इसे रक्षा मंत्रालय को समीक्षा एवं देश के सर्वोच्च नेतृत्व की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
- वर्ष **2021** से अब तक इस सुधार प्रस्ताव में कई संशोधन किए गए हैं, जो सशस्त्र बलों के भीतर एकीकरण की सीमा एवं संरचना को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **ज्ञान एवं विशेषज्ञता का अंतर:** थिएटर कमांडरों को तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान संभालनी होगी।
  - ऐसे में उनके लिए उन क्षेत्रों का गहन परिचालन ज्ञान सीमित हो सकता है, जिनसे वे पूर्व में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं रहे हैं।
  - इससे संकट की स्थिति में निर्णय-निर्माण प्रभावित हो सकता है।
- **सेवा संस्कृति एवं कैरियर संबंधी मुद्दे:** तीनों सेनाओं की संगठनात्मक संस्कृति, पदानुक्रम तथा पदोन्नति प्रणाली में अंतर मनोबल एवं कार्यकुशलता को प्रभावित कर सकता है।
- **निर्णय-निर्माण में संभावित विलंब:** **उप रक्षा प्रमुख** के पद के जुड़ने से कमान श्रृंखला में एक अतिरिक्त स्तर उत्पन्न होगा।
  - इससे संघर्ष की स्थिति में त्वरित परिचालन निर्णय लेने में विलंब हो सकता है।
- **संक्रमणकालीन जोखिम:** साझा रसद, संचार प्रणाली तथा पारस्परिक परिचालन क्षमता से संबंधित कमियाँ वास्तविक सैन्य अभियानों के दौरान ही स्पष्ट हो सकती हैं।
- **सामरिक चिंताएँ:** भारत को चीन एवं पाकिस्तान दोनों से एक साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- ऐसे में संक्रमण काल के दौरान परिचालन क्षमता में संभावित कमी एक गंभीर चिंता का विषय है।

सुझाव

- ऐसा **सैन्य तत्परता ढाँचा** विकसित किया जाए, जो केवल संसाधनों के बजाय वास्तविक परिचालन क्षमता पर आधारित हो।
- युद्धक क्षमता के मूल्यांकन हेतु स्पष्ट मानक एवं तत्परता मापदंड निर्धारित किए जाएँ।
- **रक्षा तत्परता परिषद** तथा **सैन्य तत्परता समिति** जैसी संस्थागत निगरानी व्यवस्थाओं की स्थापना की जाए।
- संक्रमण काल के दौरान आरक्षित बलों को नई थिएटर संरचना से पृथक रखा जाए तथा बाह्य दबावों को कम करने के लिए कूटनीतिक उपायों का प्रभावी उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

- थिएटरकरण का उद्देश्य संयुक्त योजना, त्वरित निर्णय-निर्माण, एकीकृत सैन्य संचालन तथा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
- यह चीन एवं पाकिस्तान से संभावित द्वि-मोर्चीय चुनौती के लिए भारत की सैन्य तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
- थिएटरकरण भारत की सैन्य व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा संयुक्त युद्धक क्षमता के विकास की दिशा में एक आवश्यक सुधार है।
- तथापि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संक्रमण काल के दौरान परिचालन तत्परता में संभावित अस्थायी कमी का समाधान सुनियोजित क्रियान्वयन, संस्थागत निगरानी तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से किस प्रकार किया जाता है, ताकि भारत किसी भी संभावित संघर्ष के लिए सदैव तैयार रह सके।

स्रोत:TH

संक्षिप्त समाचार

रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने संबंधी विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका में त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस एवं ईरान प्रतिबंध अधिनियम, 2026’ को त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया है।

परिचय

- यह विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस से कच्चा तेल अथवा प्राकृतिक गैस खरीदने वाले विश्व के शीर्ष पाँच आयातक देशों पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान करता है। इनमें भारत एवं चीन भी शामिल हैं।
  - चीन एवं भारत के अतिरिक्त रूस से तेल खरीदने वाले अन्य प्रमुख देश स्लोवाकिया, हंगरी तथा अज़रबैजान हैं।
- विधेयक के अनुसार संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि प्रत्येक 180 दिनों में रूस से तेल एवं प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष पाँच देशों की सूची की पुनः समीक्षा करेगा तथा खरीद व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर शुल्क दरों में संशोधन करेगा।
- जिन देशों की प्राकृतिक गैस आयात में रूस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से कम है तथा जो रूसी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट प्रदान की जाएगी।
- ईरान के संबंध में यह विधेयक ईरान प्रतिबंध अधिनियम की अवधि को अतिरिक्त पाँच वर्ष के लिए बढ़ाकर वर्ष 2031 तक प्रभावी बनाए रखता है।
  - साथ ही, ईरान के ऊर्जा एवं शस्त्र क्षेत्रों के वित्तपोषण को सीमित करने हेतु वर्तमान प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को भी जारी रखा गया है।
- विधेयक के समर्थकों का मत है कि इससे रूस की ऊर्जा आय में कमी आएगी, जिससे यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण की उसकी क्षमता कमजोर होगी।

स्रोत: TH

दानवीर पहल

समाचार में

- पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए दानवीर पहल का शुभारंभ किया है।

दानवीर पहल

- यह नागरिक सहभागिता आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।
- इसके माध्यम से नागरिक, संस्थाएँ, परोपकारी संगठन तथा भारतीय प्रवासी समुदाय पात्र ग्राम पंचायतों को स्वैच्छिक रूप से मानकीकृत कंप्यूटर किट दान कर सकेंगे।
- इस पहल से लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की संभावना है।
- यह ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत, सभा सार, ऑडिटऑनलाइन तथा ग्राम मानचित्र जैसे वर्तमान डिजिटल शासन मंचों को सुदृढ़ करेगी।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व-स्वीकृत एवं गुणवत्ता-परीक्षित कंप्यूटर किट उपलब्ध कराई जाएगी।
- दान प्रक्रिया की संपूर्ण डिजिटल निगरानी, स्वचालित वितरण विवरण, पारदर्शिता तथा दानदाताओं को डिजिटल प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- यह सुविधा मेरी पंचायत मोबाइल अनुप्रयोग पर उपलब्ध है।
- इसे डिजीहाट मंच से जोड़ा गया है, जिससे दान प्रक्रिया सरल हो सके।

महत्त्व

- इससे बुनियादी स्तर पर डिजिटल शासन एवं लोक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार होगा।
- ग्राम पंचायत सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता एवं पहुँच में वृद्धि होगी।
- यह पारदर्शी एवं उत्तरदायी डिजिटल मंच के माध्यम से स्वैच्छिक जनभागीदारी को संस्थागत स्वरूप प्रदान करता है।
- यह डिजिटल भारत, विकसित भारत तथा डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण शासन के लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है।

स्रोत: PIB

सरकार द्वारा ₹10 एवं ₹20 के पॉलीमर बैंक नोटों के परीक्षण को स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के ₹10 एवं ₹20 मूल्यवर्ग के पॉलीमर बैंक नोटों को प्रायोगिक आधार पर जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

परिचय

- भारतीय रिज़र्व बैंक ₹10 एवं ₹20 मूल्यवर्ग के 100-100 करोड़ पॉलीमर बैंक नोट क्षेत्रीय परीक्षण हेतु जारी करेगा।
- परीक्षण सफल होने के पश्चात इन मूल्यवर्गों में पॉलीमर बैंक नोटों का नियमित प्रचलन प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा।

पॉलीमर बैंक नोट क्या हैं?

- परंपरागत सूती कागज आधारित बैंक नोटों के विपरीत पॉलीमर बैंक नोट अधिक सतत होते हैं तथा धूल, आर्द्रता एवं फटने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं।
- इनकी आयु अधिक होती है तथा इनमें उन्नत सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं, जिससे जालसाजी करना अधिक कठिन हो जाता है।
- ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1988 में पॉलीमर मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश था।
- वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया तथा वियतनाम सहित 60 से अधिक देश पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पॉलीमर बैंक नोटों का उपयोग कर रहे हैं।

भारत में पूर्व प्रयास

- भारत ने पूर्व में भी पॉलीमर बैंक नोटों का परीक्षण किया था।
- वर्ष 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोच्चि, मैसूरु, जयपुर, भुवनेश्वर एवं शिमला में ₹10 के पॉलीमर बैंक नोटों का पायलट परीक्षण किया था, जिससे विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सके।
- बाद में परिचालन संबंधी कठिनाइयों तथा स्वचालित बैंकिंग मशीनों से जुड़ी समस्याओं के कारण इस पहल को स्थगित कर दिया गया।
- वर्तमान में इन तकनीकी चुनौतियों का समाधान कर लिया गया है, जिससे स्वचालित बैंकिंग मशीनें पॉलीमर बैंक नोटों को सुचारु रूप से संसाधित कर सकती हैं।

इस पहल का महत्त्व

- भारत में नकदी की माँग निरंतर बढ़ रही है।
- देश में प्रचलित मुद्रा का कुल मूल्य ₹42.86 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक प्रसार के बावजूद नकदी का महत्त्व बना हुआ है।
- दूसरी ओर, कागजी मुद्रा के मुद्रण एवं रखरखाव की लागत निरंतर बढ़ रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने बैंक नोटों की छपाई पर ₹6,370 करोड़ से अधिक व्यय किया, जबकि लगभग 23.8 अरब पुराने एवं क्षतिग्रस्त बैंक नोट प्रचलन से वापस लेने पड़े।

स्रोत: AIR

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ

संदर्भ

- वर्ष 2026 में भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।

परिचय

- वर्ष 1869 में डॉ. महेंद्रलाल सरकार (1833–1904) ने कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

- वर्ष 1876 में डॉ. महेंद्रलाल सरकार द्वारा इसकी स्थापना भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था।
- यह संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है।
- यह एक स्वायत्त सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान है, जिसका वित्तपोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- संस्थान का संचालन शासी परिषद द्वारा किया जाता है, जो इसकी सर्वोच्च नीति-निर्माण संस्था है।
- भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ ने बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक उत्कृष्टता तथा राष्ट्रसेवा की ऐसी गौरवशाली परंपरा विकसित की है, जो आज भी शोधकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक

- **प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन** — नोबेल पुरस्कार विजेता तथा रमन प्रभाव के खोजकर्ता।
- **जगदीश चंद्र बोस** — रेडियो विज्ञान एवं पादप विज्ञान के अग्रणी वैज्ञानिक।
- **मेघनाद साहा** — साहा आयनीकरण समीकरण के प्रतिपादक तथा भारत में आधुनिक वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख शिल्पकार।
- **सत्येन्द्र नाथ बोस** — अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग से बोस–आइंस्टीन सांख्यिकी तथा बोसॉन की अवधारणा का विकास हुआ।

स्रोत: TH

फील्ड्स पदक, 2026

संदर्भ

- वर्ष 2026 का फील्ड्स पदक, जिसे प्रायः "गणित का नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है, यू देंग, जॉन पार्डन, जैकब सिमरमैन तथा हांग वांग को प्रदान किया गया है।

परिचय

- फील्ड्स पदक की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी।
- इसका नाम कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड्स के सम्मान में रखा गया है।
- यह पुरस्कार प्रत्येक चार वर्ष में अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय, गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है, जिसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- यह पदक 40 वर्ष से कम आयु के उन शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो।
- नोबेल पुरस्कार के विपरीत, जिसे अधिकतम तीन व्यक्तियों के बीच साझा किया जा सकता है, फील्ड्स पदक प्रत्येक चार वर्षीय चक्र में कम-से-कम दो तथा अधिकतम चार व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक पुरस्कार विजेता को फील्ड्स पदक के साथ 15,000 कनाडाई डॉलर की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है।

क्या आप जानते हैं?

- अब तक भारतीय मूल के दो गणितज्ञों को फील्ड्स पदक प्राप्त हुआ है।
- मंजुल भार्गव को वर्ष 2014 में तथा अक्षय वेंकटेश को वर्ष 2018 में यह सम्मान प्रदान किया गया।

स्रोत: TH

■■■■

NEXT IAS